राजस्थान सरकार

न्यायालय तहसीलदार गुड़ामालानी

प्रकरण संख्या 21/2025

प्रार्थी/सायल	**बनाम**	**अप्रार्थी/गैर सायलान्**
राजस्थान सरकार जरिये हल्का पटवारी **गांधव कल्ला**		राजूराम बाबूलाल पि. वरजांगाराम जाति विश्नोई निवासी गोदारों की ढाणी, गांधव कल्ला तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू –राजस्व अधिनियम 1956

दिनांक 29.12.2025

निर्णय

प्रकरण से संक्षिप्त में तथ्य निम्न प्रकार है कि पटवारी हल्का गांधव कल्ला ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा गोदारों की ढाणी, गांधव कल्ला की राजकीय भूमि ख.न. 62/1, 62/4 रकबा 1.6754, 0.3237 किस्म बारानी सोयम(राजकीय भूमि) में से 0.6115, 0.1897 हैक्टेयर कुल **0.8012 हैक्टेयर** पर अनाधिकृत कब्जा कर अतिक्रमी द्वारा बाड़ की हुई है। अतः गैर सायलान् के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने तथा उक्त भूमि से बेदखल करने का निवेदन किया। पटवारी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया।

सुनवाई की नियत तिथि दिनांक 29.12.2025 को हल्का पटवारी उपस्थित, गैर सायलान् अनुपस्थित। गैर सायलान् को सुनवाई का दो बार मौका देने व खुले न्यायालय में तीन बार आवाज लगाने के तदुपरान्त अनुपस्थित होने से कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई जाती है।

हमने पत्रावली का अध्ययन एवं अवलोकन किया। प्रश्नगत भूमि किस्म बारानी सोयम(सरकारी भूमि) है जिस पर गैर सायलान् का अनाधिकृत कब्जा साबित होता हैं। अतः गैर सायलान् को उक्त भूमि का अतिक्रमी घोषित किया जाकर लगान 0.70 रूपये का राउण्ड अप 01 रूपये का 50 गुना शास्ति आरोपित करते हुए 250 रूपये का जुर्माना आरोपित किया जाता है। गैर सायलान् को उक्त भूमि से बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं तथा अनाधिकृत रूप से अतिक्रमी द्वारा की गयी बाड़ को हटावा कर बेदखली आदेश दिये जाते है। बेदखली एवं जुर्माना वसूली हेतु हल्का पटवारी, ILR तथा मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखाकार सूचित हो।

निर्णय आज दिनांक 29.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ishwar Lal Solanki
Date: 2026.02.05 17:50:51 IST
Reason: SelfAttested

(ईश्वरलाल सोलंकी आर.टी.एस.)
तहसीलदार गुड़ामालानी